

कार्यालय वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल, धरमजयगढ़ (छ0ग0)

☎ 07766-266599(निवास) 07766-266739(कार्या.) ☎(फैक्स) 07766-266740 ✉E.Mail ID-dfo_dharamjaigarh@rediff.co.in

क्रमांक./मा.चि./
प्रति,

३७

/2020 /धरमजयगढ़ दिनांक ०८,०१,२०२०,

प्राधिकृत अधिकारी,
मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड
ग्राम बाड़ादरहा, तहसील डभरा
जिला जांजगीर-चांपा

विषय:-

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धरमजयगढ़ वनमण्डल के अंतर्गत दुगुने राजस्व वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रदत्त प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :-

1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./2018/1984/धरमजयगढ़ दिनांक 16.05.2018।
2. आवेदक संस्थान का पत्र क्रमांक/डी.बी.पा.लि./12-10 दिनांक 10.12.2019।
3. वन परिक्षेत्राधिकारी धरमजयगढ़ का पत्र क्र./10 दिनांक 07.01.2020

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत धरमजयगढ़ वन मण्डल के धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम उदउदा प.हं.नं. 34 में स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1123/1 कुल रकबा 15.560 हे. में से 10.00 हे. भूमि की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार कर प्रेषित है।

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वन मण्डल

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जांजगीर-चांपा वनमण्डल अंतर्गत तहसील डभरा के ग्राम बाड़ादरहा में 1200 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से 5.000 हे. राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित राजस्व वन भूमि के विरुद्ध उपयोगकर्ता अभिकरण मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड द्वारा धरमजयगढ़ वन मण्डल में भूमि की मांग की गई, जिसके तहत धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम उदउदा प.ह.नं. 34 में स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1123/1 कुल रकबा 15.560 हे. भूमि को वन विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत एवं संस्थान के प्रतिनिधियों के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण उपरांत कुल रकबा 15.560 हे. में से 12.330 हे. राजस्व वन भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाते हुये डी.जी.पी.एस. सर्वे कराया गया है एवं राजस्व वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिए उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया गया है :-

क.	भूमि स्वामी का नाम	ग्राम का नाम	रा.नि.मं.	तहसील	प.ह.नं.	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
01	शासकीय भूमि राजस्व वन भूमि	उदउदा	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	34	1123/1	10.000

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की जा रही उपरोक्त राजस्व वन भूमि में पूर्व से प्राकृतिक रूप से कुल 126 वृक्ष एवं मिश्रित प्रजाति की झाड़ियाँ विद्यमान हैं। जो कि बिखरी अवस्था में हैं क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.2 तक है क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है वन प्रबंधन एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है तथा डी.जी.पी.एस सर्वे में कुल 12.330 हे. राजस्व वन भूमि में से प्रकरण हेतु आवश्यक 10.000 हे. पर वृक्षारोपण योजना तैयार किया गया है एवं राजस्व विभाग की अनापत्ति प्राप्त की गई है। शेष भूमि को अन्य प्रकरणों में उपयोग किया जावेगा, ताकि क्षेत्र का वन विस्तार किया जा सके।


वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल